Data Processing Assistant

(11)

Band-2 (₹ 9300-34800) with the Grade Pay of ₹ 4200 or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) Possessing the following educational qualifications and experience:—

(i) Degree of a recognised University or equivalent,

(ii) Two years' experience of protocol or public relation work or both.

(The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) transfer shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)

Note: For the purpose of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation/absorption basis.

[F. No. A-35014/12/2010-Ad.-V]

ARVIND MUKHERJEE, Under Secy.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2012

सा.का.नि. 190.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तत्कालीन माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग, आंकडे प्रसंस्करण सहायक श्रेणी 'क' समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2002 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग में, आंकडे प्रसंस्करण सहायक श्रेणी 'क' पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग आंकडे प्रसंस्करण सहायक श्रेणी 'क' भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नि से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है, या नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आंकडे प्रसंस्करण सहायक श्रेणी 'क'	2* (2012) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	30 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है । टिप्पणी 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा

172 677

(7)
जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। **टिप्पणी 2:** – रोजगार कार्यालयों से उन अभ्यर्थियों की दशा में, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्तया प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान या गणित या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी के साथ बैचलर डिग्री; और (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर उपयोजन में डिप्लोमा/प्रमाण पत्र । **टिप्पण :** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
सीधी भर्ती **टिप्पण :** पदधारियों के प्रतिनियुक्ति पर या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे पदधारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी :— (क(i)जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-1, (रु. 5200-20200 और ग्रेड वेतन रु. 2800) (4500-7000 रु. पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान) या समतुल्य वाले पदों पर चार वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) : जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हैं । (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।)	लागू नहीं होता

(11)
[illegible]तिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी [illegible] किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले [illegible]धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)''

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(13)	(14)
पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. निदेशक/उप-सचिव (प्रशासन) — अध्यक्ष 2. अवर सचिव — सदस्य 3. अवर सचिव (स्था-III) — सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ए-12018/3/2011-ई. III]

राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

New Delhi, the 24th July, 2012

G.S.R. 190.—In exercise of the powers conferred by the provisio to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Human Resource Development, erstwhile Department of Secondary and Higher Education, Data Processing Assistant Grade 'A', Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2002 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment for the post of Data Processing Assistant Grade 'A' in the Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, namely:—

1. **Short title and commencement.** —(1) These rules may be called Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Data Processing Assistant Grade 'A', Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall came into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, and qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters connected there with shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

[illegible] for appointment to the said post:

[illegible] that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under personal law [illegible] and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person [illegible]

[illegible] Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it [illegible] recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or [illegible]

[illegible] rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be [illegible] Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the order[illegible] in this regard from time to time.

2668

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay scale	Whether selection or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pensions) Rules, 1972	Age limit for direct recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Data Processing Assistant Grade 'A'	2* (2012) *Subject to variation depending on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300—34800 (Grade Pay Rs. 4200)	Not applicable	No	30 years (Relaxable for Government employees in the case of General candidates upto 40 years and in the case of the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe candidates up to 45 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note 1 : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep). Note 2 : The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
(i) Bachelor's Degree of a recognized University with Science or Mathematics or Economics or Statistics and (ii) Diploma/Certificate in Computer application from a recognised Institution. Note.—Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable	Two years

of recruitment : Whether by direct ment or by promotion or by deputation or ption and percentage of the vacancies to be by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption, to be made
(11)	(12)
t Recruitment : : Vacancies caused by incumbent being away eputation or long leave or under other mstances for a duration of one year or more be filled on deputation basis from officials of entral Government:) Holding analogous post on regular basis; or With four years regular service in post in the Band-1 (Rs. 5,200—20,200) with Grade Pay of 2,800 (Pre-revised scale of Rs. 4,500—8,000) or ivalent; and Possessing the qualifications and experience scribed for direct recruits under column 8. e departmental officers who are in the direct e of promotion shall not be eligible for nsideration for appointment on deputation. nilarly, deputationists shall not be eligible for nsideration for appointment by promotion). Period of deputation including period of putation in another ex-cadre post held mediately preceding this appointment in the same other organisation/department shall ordinarily ot exceed 3 years)".	Not applicable

f a Departmental Promotion Committee exists, what is its omposition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :— 1. Director/Deputy Secretary (Administration) —Chairman 2. Under Secretary —Member 3. Under Secretary (Estt. III) —Member	Not applicable

[F. No. A-12018/3/2011-E. III]

RAJESH KUMAR SINGH, Under Secy.

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2012

सा.का.नि. 191.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चत्तर शिक्षा विभाग, समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 2001 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में समूह 'ग' पदों (पहले समूह 'घ' पद) पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

	(11)
	prior to 1-1-2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations have been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

If a DPC exists, what is the composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee for Group 'B' :— (i) Joint Secretary (Land and Works) —Chairman (ii) Land and Development Officer —Member (iii) Under Secretary (Deputy Land and Development Officer) —Member	In case of any relaxation or amendment of the provisions of the rule.

[F. No. A-12018/01/2010-Admn. (L & DO)]

ANIL KUMAR, Dy. Land and Development Officer

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चत्तर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2012

सा.का.नि. 303.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चत्तर शिक्षा विभाग में गेस्टेटनर ऑपरेटर (वरिष्ठ ग्रेड) भर्ती नियम, 2003 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चत्तर शिक्षा विभाग में गेस्टेटनर ऑपरेटर (वरिष्ठ ग्रेड) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चत्तर शिक्षा विभाग, गेस्टेटनर ऑपरेटर (वरिष्ठ ग्रेड) भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गेस्टेटनर ऑपरेटर (वरिष्ठ ग्रेड)	2* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, (5200—20200 रु.) ग्रेड वेतन 1900 रु.	चयन-सह-वरिष्ठता	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा में छूट देकर 40 वर्ष तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए छूट देकर 45 वर्ष की जा सकेगी ।) **टिप्पणी 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। **टिप्पणी 2 :** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
(i) मैट्रिकुलेशन अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण; (ii) गेस्टेटनर मशीन के परिचालन और रखरखाव में एक वर्ष का अनुभव	नहीं	केवल भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(7)

टिप्पण 1 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	**प्रोन्नति :** ऐसा कनिष्ठ गेस्टेटनर ऑपरेटर जिसने कनिष्ठ गेस्टेटनर ऑपरेटर ग्रेड में तीन साल की नियमित सेवा की हो जिसके न हो सकने पर ऐसे कनिष्ठ गेस्टेटनर ऑपरेटर जिन्होंने कनिष्ठ गेस्टेटनर ऑपरेटर और दफ्तरी या ज्येष्ठ चपरासी के रूप में छह वर्ष सम्मिलित सेवा की हो । **प्रतिनियुक्ति :** (क) केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :— (i) जो मूल कैडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं; अथवा (II) जो मूल कैडर या विभाग में वेतन बैंड-1, ग्रेड वेतन 1800 रु. में नियमित आधार पर कम से कम तीन वर्ष से सदृश पद धारण कर रहे हैं; और (ख) स्तंभ 8 में सीधी भर्ती के विनिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हताएं रखते हों । "(प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है; साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)"

यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
स्थायीकरण पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. निदेशक/उप-सचिव (प्रशासन) — अध्यक्ष 2. अवर सचिव — सदस्य 3. अवर सचिव (स्थापना-III) — सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 12018/2/2011-ई. III]

राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

4465G1/12—6

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

New Delhi, the 10th December, 2012

G.S.R. 303.—In exercise of the powers conferred by the provisio to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Human Resource Development, Gestetner Operator (Senior Grade) Recruitment Rules, 2003 except in respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Gestetner Operator (Senior Grade) in the Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, namely :—

1. **Short title and commencement.** — (1) These rules may be called Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, (Gestetner Operator Senior Grade), Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall came into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government in this regard from time to time.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay scale	Whether selection post or Non-selection	Age limit for direct recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gestetner Operator (Senior Grade)	2* (2012) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, (Rs. 5200—20200) Grade Pay Rs. 1900	Selection-cum-seniority	Between 18—25 years. (Relaxable for Government employees in the case of General candidates upto 40 years and in the case of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribe candidates up to 45 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1** : The crucial date for determining the age-limit shall be

		(6)
		the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep). Note 2 : The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit names.

Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
(i) Matriculation pass or its equivalent; (ii) One year experience in operating and maintaining Gestetner machines. **Note**: The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Central Government for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	No	Two years for direct recruits only

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
By promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment	**Promotion :** Junior Gestetner Operator with three years' regular service in the grade, failing which Junior Gestetner Operators with a combined

	(11)
	six years' regular service as Junior Gestetner Operator and Daftry or Senior Peon. **Deputation :** (a) Officers of the Central Government :— (i) holding an analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) holding posts in the Pay Band-1, with grade pay of Rs. 1800 on regular basis for at least three years in the parent cadre or Department; and (b) possessing educational qualifications specified for direct recruits in Column 8. "(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department shall ordinarily not exceed three years)".

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation :— 1. Director/Deputy Secretary (Administration) —Chairman 2. Under Secretary —Member 3. Under Secretary (Estt. III) —Member	Not applicable.

[F. No. 12018/2/2011-E. III]

RAJESH KUMAR SINGH, Under Secy.

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2012

सा.का.नि. 304.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

1. **लघु शीर्ष और आरंभ.**—(1) इन नियमों को पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय मल्टी-टास्किंग स्टाफ भर्ती नियम, 2012 कहा जाएगा ।

(2) इन्हें सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू किया जाएगा ।

2. **पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, पे-बैंड, ग्रेड वेतन और वेतनमान.**—इनसे सम्बद्ध पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान, पे-बैंड और ग्रेड वेतन वही होगा जो इन नियमों से सम्बद्ध अनुसूची के कालम (2) से (4) में यथानिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उपरोक्त पदों के बारे में भर्ती, आयु-सीमा, अर्हताओं और अन्य मामलों की पद्धति वही होगी जो उपरिलिखित अनुसूची के कालम (5) से (14) में यथानिर्दिष्ट है ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

Dispatch Kiew

Whether Departmental Promotion Committee exists, if so, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post.

[F. No. A-16011/13/2004-Ad. II/Ad. V]

SURENDER KUMAR, Dy. Director of Census Operations

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2011

सा.का.नि. 281.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, डाक-वाहक, समूह 'ग' भर्ती नियम, 2002 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग में डाक-वाहक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग डाक-वाहक, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डाक-वाहक	1*(2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200—20200 रु.) ग्रेड वेतन 1900 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	18-25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तथा

(7)

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष की जा सकेगी।)

टिप्पणी 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

टिप्पणी 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
अनिवार्य : (i) मोटर साइकिल या ऑटोरिक्शा के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखता हो । (ii) मोटर साइकिल या ऑटोरिक्शा चलाने का दो वर्ष का अनुभव । (iii) मोटर साइकिल या ऑटोरिक्शा यांत्रिकी का ज्ञान और इस प्रकार के वाहनों की छोटी-मोटी त्रुटियां दूर करने की योग्यता । (iv) अंग्रेजी और हिन्दी पढ़ने की योग्यता । **टिप्पणी 1 :** अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं) केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती के लिए दो वर्ष

(8)

, जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय
यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों
के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों
अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना
है।

इनीय :

किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय या बोर्ड से 8वीं कक्षा
र्ण।

होमगार्ड या सिविल रक्षा स्वयंसेवक के रूप में
भव।

की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
युक्ति/आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर भर्ती द्वारा।	**प्रतिनियुक्ति/आमेलन :** मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नियमित समूह 'घ' कर्मचारियों में से जिसके न हो सकने पर केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों से समूह 'घ' कर्मचारी या नियमित डाक वाहक जो स्तंभ 8 के अधीन विहित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों। **भूतपूर्व सैनिकों के लिए :** **प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन :** सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है। तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

गीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय समिति) : प सचिव (प्रशासन) —अध्यक्ष व —सदस्य व (स्थापना-3) —सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/1/2011-ई. III]

संजय गुप्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

New Delhi, the 7th October, 2011

G.S.R. 281.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Human Resource Development, erstwhile Department of Secondary and Higher Education, Despatch Rider Group 'C' Post Recruitment Rules, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the post of Despatch Rider in the Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Despatch Rider, Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number, classification and scale of pay.**—The number of the post, its classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected herewith shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** —No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government in this regard from time to time.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age-limit for direct recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Despatch Rider	1* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-I (Rs. 5200—20200) Grade Pay Rs. 1900.	Not applicable	No	Between 18—25 years. (Relaxable for Government employees in the case of General candidates up to 40 years and in the case of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes candidates up to 45 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).

3707 GI/11-2

(7)
Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territoy of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territoy of Lakshadweep). **Note 2 :** The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from the Employment Exchange, shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the name.

Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Essential : (i) Possession of a valid driving licence for motorcycle or auto rickshaw; (ii) Two years' experience in driving motorcycle or auto rickshaw; (iii) Knowledge of motorcycle or auto rickshaw; mechanism and ability to remove minor defects in such vehicles; and (iv) Ability to read English and Hindi. Note : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Central Goverment for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Central Goverment is of the opinion	Not applicable	Two years for direct recruits.

(8)	
at sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. **Desirable :** (i) 8th Standard pass from a recognised School or Board. (ii) Experience as Home Guard or Civil Defence Volunteer.	

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(11)	(12)
By deputation/absorption failing which by direct recruitment.	**Deputation/absorption :** From amongst the regular Group 'D' employees of the Ministry of Human Resource Development failing which from regular Despatch Riders or Group 'D' employees from other Minsitries of the Central Government possessing qalifications and experience precribed under column 8. **For Ex-servicemen :** **Deputation/Re-employment :** The Armed Forces Personnel due to retire who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter, they may be continued on re-employment. "(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department shall ordinarily not exceed 3 years)".

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation :— Director/Deputy Secretary (Administration) —Chairman Under Secretary —Member Under Secretary (Estt. III) —Member	Not applicable.

[F. No. A-12018/1/2011-E-III]

SANJAY GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

New Delhi, the 11th February, 2011

G.S.R. 72.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Human Resource Development Group D posts Recruitment Rules, 2000 and the Ministry of Human Resource Development (Peon) Recruitment Rules, 2001, except in respects of things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating and the method of recruitment for the post of Multi Tasking Staff in the Ministry of Human Resource Development, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called Ministry of Human Resource Development (Multi Tasking Staff) Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number, classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed hereto.

3. **Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters connected herewith shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules, with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay	Whether selection-cum-seniority or selection by merit	Whether benefits of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Multi Tasking Staff	197*	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, (Rs. 5200—20200) + Grade Pay Rs. 1800	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 25 years of age. **Note** : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim,

*Revised sanction strength vide OM No. F.No. A.11011/3/08-E-II dt. 1-7-2010.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

New Delhi, the 11th February, 2011

G.S.R. 72.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersessi of the Ministry of Human Resource Development Group D posts Recruitment Rules, 2000 and the Ministry of Human Resource Development (Peon) Recruitment Rules, 2001, except in respects of things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating and the method of recruitment for the post of Multi Tasking Staff in the Ministry of Human Resource Development, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called Ministry of Human Resource Development (Multi Tasking Staff) Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number, classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed hereto.

3. **Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters connected herewith shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules, with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay	Whether selection-cum-seniority or selection by merit	Whether benefits of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Multi Tasking Staff	197*	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, (Rs. 5200—20200) + Grade Pay Rs. 1800	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 25 years of age. Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim,

*Revised sanction strength vide OM No. F.No. A.11011/3/08-E-II dt. 1-7-2010.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2011

सा.का.नि. 72.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के समूह 'घ' पदों के भर्ती नियम, 2000 तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (चपरासी) भर्ती नियम, 2001 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई, लोप की गई और की जाने वाली बातों को छोड़कर राष्ट्रपति एतदद्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में बहुविध कार्य करने वाले कर्मचारियों (मल्टी टास्किंग स्टाफ) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (बहुविध कार्य करने वाले कर्मचारी) भर्ती नियम, 2010 कहा जाएगा ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतनमान इन नियमों में संलग्न अनुसूची के कालम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.**—इन पदों के लिए भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा इनसे संबद्ध अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम (5) से (14) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे ।

4. **निरर्हताएं.**—कोई भी व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो अथवा विवाह के संबंध में अनुबंध किया हो जिसका पति/पत्नी जीवित है;

(ख) जिसने अपने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह के संबंध में अनुबंध किया हो;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

बशर्ते कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि इस प्रकार का विवाह, ऐसे व्यक्ति के संबंध में और विवाह के दूसरे पक्ष के संबंध में लागू व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत अनुमत्य है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं जो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट प्रदान करते हैं ।

5. **छूट का अधिकार.**—जहां पर केन्द्र सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक है अथवा समीचीन है, तो वह आदेश के द्वारा, लिखित में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को शिथिल कर सकती है ।

6. **व्यावृत्ति.**—इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षण, आयु-सीमा में छूट तथा उपलब्ध करायी जाने वाली अन्य रियायतों पर इन नियमों में उल्लिखित किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	क्या चयन सह वरिष्ठता अथवा चयन योग्यता आधार पर है	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बहु-विध कार्य करने वाले कर्मचारी	*197	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय	वेतन बैंड 1, (5200-20200 रु.) ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं	लागू नहीं	18 वर्ष से 25 वर्ष की आयु के बीच । टिप्पणी : आयु-सीमा का निर्धारण करने हेतु निर्णायक तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि होगी (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम,

*का.ज्ञा. सं. ए. 11011/3/08-ई-II दिनांक 1-7-2010 के द्वारा संशोधित संस्वीकृत पदों की संख्या

(7)
मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर राज्य के ... प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के ... और स्पीति जिले तथा चम्बा ... के पांगी उप-प्रभाग, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह अथवा लक्षद्वीप में रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गई है)। यदि भर्ती रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है तो आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि वह अंतिम तिथि होगी जिस तिथि तक रोजगार कार्यालय को नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है ।

सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
10वीं पास या समकक्ष अथवा आईटीआई पास* *पद पर विशेष भर्ती, यदि कोई है; के अनुसार स्वीकार किया जा सकता है	लागू नहीं	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : क्या सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन के द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	यदि भर्ती पदोन्नति द्वारा/प्रतिनियुक्ति द्वारा/आमेलन के द्वारा की जानी है तो वे ग्रेड जिनमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है
(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(13)	(14)
स्थायीकरण के संबंध में विचार करने हेतु समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :– निदेशक/उप सचिव (प्रशासन) —अध्यक्ष अवर सचिव (स्था-III) —सदस्य अवर सचिव —सदस्य	लागू नहीं

[फा. सं. 12018/1/2010-ई-III]

संजय गुप्ता, अवर सचिव

409 GI/11-3